राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ

जासूस बादशाह

www.picmp.com

आरएनआई निबंधन संख्या-एमपीएचआईएन1999 /4107 डाक पंजीयन-मप्र। भोपाल। 371 /24-2026

वर्ष-25, अंक-20,(तीस सालों से लगातार प्रकाशित) भोपाल,रविवार 14 जुलाई 2024 पेज-8,मूल्य दो रुपए मात्र

कोर्ट को ठेंगा बताकर ठग बन बैठा प्रकाशचंद्र गुप्ता

जमा पर्ची में हेरफेर करके(316 ठग) बोला केनरा बैंक की मैनेजर स्कूटर पर ले भागी दो करोड़ इक्कीस लाख

प्रकाश चंद्र गुप्ताः रायबरेली से आकर एमपी में फैलाया ठगी का कारोबार,पास्को एक्ट में जाली दस्तावेजों से पाई जमानत

भोपाल,14 जुलाई(प्रेस इंफार्मेशन सेंटर). केनरा बैंक में कारोबारी साख का फायदा उठाकर जब बूटकाम सिस्टम्स के प्रोप्राईटर प्रकाश चंद्र गुप्ता ने मकान फायनेंस कराया तब तक बैंक को नहीं पता था कि उसकी शातिर खोपड़ी में क्या चल रहा है। बैंक को तो उसके कारोबार का आयव्यय देखकर लगता था कि वह बड़ा व्यापारी है। हकीकत जब सामने आई तो पुलिस भी देखकर दंग रह गई कि उसकी नाक के नीचे बरसों से ये ठग कैसे लोगों की आंख में धूल झोंकता रहा है। कभी छुरेबाजी करके रायबरेली के लालगंज से फरार हुआ प्रकाश चंद्र गुप्ता कलकत्ता में चाय कारोबार में नौकरी करने लगा था। बाद में चाय का कारोबारी बनकर भोपाल आ गया।यहां भाजपा के छुटभैये नेता के साथ नकली चाय बेचने के आरोप में पकड़ा गया तो उसने अपना धंधा बदलकर कंप्यूटर की दुकान खोल ली। इस बार उस पर बैंक ठगी का जो प्रकरण दर्ज कराया गया है उसमें उसने वही तरीका अपनाया है जिसमें वह पंजाब नेशनल बैंक से सफल ठगी कर चुका है।

राजधानी के कोहेफिज़ा पुलिस थान में दर्ज प्रकरण क्रमांक 0317 दिनांक 18.05.2024 में थाना प्रभारी ने लिखा कि मै थाना कोहेफिजा मे थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हूं.दिनांक 29/04/2024 को आवेदिका सुधा प्रिया दर्शिका शाखा प्रबंधक केनरा बैंक शाखा कोहेफिजा भोपाल की ओर से एक टाईपशुदा आवेदन पत्र थानाध्यक्ष थाना कोहेफिजा भोपाल के नाम का प्रस्तुत किया गया जिसमे बताया कि अनावेदक प्रकाश चंद्र गुप्ता प्रोप्राईटर बूटकाम सिस्टम एम पी नगर भोपाल का लोन खाता केनरा बैंक शाखा कोहेफिजा मे है जिसके द्वारा केनरा बैंक शाखा कोहेफिजा भोपाल से 03 व्यवसायिक लोन कुल राशि 2,60,00,000/- लिया गया है जिसका अनावेदक प्रकाश चन्द्र गुप्ता को इंस्टालमेन्ट भरना पडता है जब ग्राहक की 3 इंस्टालमेन्ट due हो जाती है तो बैंक द्वारा लोन NPA (Non-Performing Asset) घोषित किया जाता है और बैंक द्वारा ग्राहक को demand notice जारी किया जाता है ।

दिनांक 08/01/2024 को आवेदिका सुधा प्रिया दर्शिका शाखा प्रबंधक केनरा बैंक कोहेफिजा भोपाल द्वारा अनावेदक प्रकाश चंद्र गुप्ता प्रोप0 बूटकाम सिस्टम एम पी नगर भोपाल को demand Notice तामील कराने के लिए बैंक के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रोहित नरवरे के साथ प्रकाश चंद्र गुप्ता के कार्यालय एम पी नगर भोपाल अपने व्यक्तिगत दो पहिया वाहन एक्टीवा से पहुंचे वहाँ पर अनावेदक से demand notice पर receiving प्राप्त कर अनावेदक के अनुरोध पर केनरा बैंक की एक जमा पर्ची जिसमें कुल राशि 1,20,000/- शब्दो ओर अंको मे पहले से ही भरी हुई थी. उसके साथ अनावेदक द्वारा उक्त नगद रकम 1,20,000/- दी गई अनावेदक द्वारा आवेदिका से काउन्टर जमा पर्ची पर हस्ताक्षर लिया गया सील ना होने से नही लगाई गई । उक्त नगद रकम को आवेदिका द्वारा लिफाफे मे रख कर अनावेदक के साथ रोहित को बुलाकर अवेदिका के मोबाईल से फोटो लिया गया बाद अनावेदक को शेष रकम भी जल्द जमा करने हेतु समझाईश देकर वापस बैंक आकर उक्त रकम 1,20,000/- केशियर को जमा पर्ची के साथ उसके खाते मे जमा करने हेतु दिये गये ।

उसी समय प्रबंधक हर्षित द्वारा demand notice पर अनावेदक के हस्ताक्षर चैक किये गये तो अनावेदक प्रकाश चन्द्र गुप्ता दवारा demand notice पर अपने शासकीय कार्यालयीन में किये गये हस्ताक्षर के स्थान पर किसी अन्य प्रकार के हस्ताक्षर पाए गए।

अनावेदक के हस्ताक्षर सही नही पाये जाने पर दिनांक 08/01/2024 को ही प्रबंधक हर्षित द्वारा पुनः अनावेदक के कार्यालय एम पी नगर मे जाकर हस्ताक्षर लिये गए. दिनांक 09.01.2024 को अनावेदक श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता ने प्रबंधक हर्षित को फोन कर तीनों ऋण खाते का बैलेंस सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के लिए कहा। जिस पर आवेदिका और प्रबंधक हर्षित अनावेदक के कार्यालय एमपी नगर जाकर बैलेंस प्रमाणपत्रों उपलब्ध कराये जाकर लोन खाता मे minimum required amount (11.50लाख लगभग) जमा करने हेतु समझाईश देकर वापस शाखा आ गये।

दिनांक 15.01.2024 को शाखा को उक्त अनावेदक श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता से मुख्य प्रबंधक के नाम से डाक से एक लिफाफा प्राप्त हुआ। इस लिफाफे को खोलने पर उसमें ड. बाबा साहब भीमराम अम्बेडकर से संबेधित एक पृष्ठ का नोट पाया गया जिसका श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता या उनके खातों से इसका कोई लेना-देना नहीं था।

दिनांक 08.02.2024 को, आवेदिका, रोहित नरवरे के साथ नियमित तरीके से एमपी नगर में अनावेदक श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता के एम.पी. नगर स्थित कार्यालय गई। मुख्य प्रबंधक ने ऋण खातों को पूरी तरह से बंद करने के बजाय उन्हीं खातों को अपग्रेड करने की सलाह दी क्योंकि इसमें कम राशि की आवश्यकता थी जो कि लगभग 14 लाख रुपये हो सकती थी। अनावेदक द्वारा यह जानते हुए कि आवेदिका को हिन्दी नही आती है उन्हे एक पत्र (हिंदी भाषा मे) दिया जाकर आवेदिका से हस्ताक्षर करवाए सील नही होने से सील नही लगाई गई ।

आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर पावती ली गई । दिनांक 06/03/2024 को अनावेदक द्वारा केनरा बैंक शाखा कोहेफिजा को एक पत्र भेजा गया जिसमे उसके द्वारा 08/01/2024 को 2,21,20,000/- रुपये आवेदिका को उसके कार्यालय एम पी नगर मे नगद देना बताया गया और शेष लोन की राशि को उसकी जमा एफडी मे से काटने का उल्लेख किया गया तब जाकर आवेदिका के सज्ञांन मे यह बात आई ।

जांच मे आवेदिका व साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गए । पूर्व में प्रकाश चन्द्र गुप्ता दवारा श्रीमान पुलिस उपायुक्त जोन-03 भोपाल को एक आवेदन पत्र FIR दर्ज करने के संबंध में कैनरा बैंक शाखा प्रबंधक सुधा प्रियदर्शिका के विरुध 02,21,20,000/- रुपये कूटर-

(शेष भाग पेज सात पर पढ़िए)

नई दंड संहिता में सबूतों से खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे ठग और अपराधी

भोपाल,12 जुलाई (प्रेस इंफारमेशन सेंटर)देशभर में 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS),क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू हो चुका है। इन सभी कानूनों के नवीन प्रावधानों व विवेचना के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में भोपाल स्थित पुलिस परिवहन शोध संस्थान में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 12 जुलाई को महिला सुरक्षा शाखा, पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यअतिथि एडीजी महिला सुरक्षा शाखा श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने सर्वप्रथम मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित विधि अधिकारी अजाक श्री विजय बंसल का पौधा भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर आईजी श्रीमती हिमानी खन्ना और एआईजी श्रीमती किरणलता केरकेट्टा उपस्थित रहीं।

यह प्रशिक्षण नए कानूनों की जानकारी प्रदान करने में सहायक : एडीजी श्रीमती श्रीवास्तव

एडीजी महिला सुरक्षा शाखा श्रीमती श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में उपस्थित पुलिसकर्मियों से कहा कि हम जब भी कोई प्रकरण दर्ज करें या नोटशीट तैयार करें तो हमें पता होना कि नए कानूनों के अनुसार किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाए और किन बदली हुई धाराओं और कार्यप्रणाली का प्रयोग किया जाए। हमें यह पता होना चाहिए कि नए कानूनों में क्या परिवर्तन हुए हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिसकर्मियों को नए कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।

तीनों कानूनों में किए गए बदलाव

कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता और विधि अधिकारी अजाक श्री विजय बंसल ने बताया कि आईपीसी में 511 धाराएं थी, जिन्हें भारतीय न्याय संहिता में घटाकर 358 कर दिया गया है साथ ही सभी परिभाषाएं एक ही जगह लिखी गई हैं। बीएनएस में 21 नए अपराध जोड़े गए हैं और 41 अपराधों में सज़ा की सीमा बढ़ाई गई है। बीएनएस में 62 मुख्य बदलाव किए गए हैं। वहीं इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले सभी अपराधों को अध्याय-5 में स्थान दिया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में सीआरपीसी में 484 सेक्शन थे, जिन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में बढ़ाकर 531 कर दिया गया है। BNSS में कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं । इसमें 9 नई धाराओं के साथ-साथ 39 नई उपधाराएं भी जोड़ी गई हैं साथ ही कुल 14 धाराएं निरस्त और हटा दी गई हैं। इसी प्रकार पहले एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शन थे, जिन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बढ़ाकर 170 कर दिया गया है। साथ ही 24 सेक्शन में बदलाव किया गया है।

राजद्रोह की जगह देशद्रोह

मॉब लिंचिंग को परिभाषित करते हुए इसके लिए भी कड़े कानून बनाए गए हैं। अब इसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक की सजा तय की गई है। अंग्रेजों द्वारा अपने शासन की रक्षा के लिए बनाए राजद्रोह के कानून को पूर्णत: समाप्त करते हुए 'भारत सरकार' की जगह 'भारत' की एकता, अखंडता व संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले अपराध को देशद्रोह घोषित किया गया है। देश के बाहर भी भारत की किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और बम विस्फोट करने को आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। नए कानून में आतंकवाद को विधिवत परिभाषित करते हुए गंभीर अपराध घोषित कर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं दस्तावेज के रूप में डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को भी शामिल किया गया है। तलाशी व जब्ती की प्रक्रिया की वीडियो-ऑडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है। उन्होंने बताया कि 7 साल से अधिक सज़ा के मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्रीकरण के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञ का अपराध स्थल पर दौरा अनिवार्य है।

दंड के बजाय न्याय पर जोर

उन्होंने बताया कि नई परिभाषा के अनुसार धारा 2(10) के अंतर्गत "लिंग" में अब महिला व पुरुष के साथ ही ट्रांसजेंडर को स्थान दिया गया है वही धारा 2(3) के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को "अवयस्क" की श्रेणी में आएंगे।

(खबर का शेष भाग पेज 7 पर पढ़िए)

राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ

जासूस बादशाह

भोपाल,रविवार 14 जुलाई 2024

इन विषम हालात से कैसे निपटेंगे नए कानून

आजादी का नाम ले लेकर भारत आज मुफ्तखोरों और नकलचियों का देश बन गया है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि सरकार को अपनी ही संस्थाएं झांसा देने लगी हैं। हाल ही में हुए नीट पेपर घोटाले की परतें जैसे जैसे उघड़ती जा रहीं हैं वैसे वैसे पता चल रहा है कि परचे की गोपनीयता बनाए रखने की जवाबदारी जिन अधिकारियों पर थी वे किस कदर लापरवाह बने हुए थे। कोचिंग संस्थानों और परीक्षा केन्द्र संचालकों ने किस तरह परचे की गोपनीयता भंग की उसकी कहानियां सामने आने लगीं हैं। सरकारी नौकरियों क आकर्षण इतना अधिक है कि लोग किसी भी कीमत पर सरकारी नौकरियों में घुसना चाहते हैं। डाक्टरी का पेशा इतना कमाऊ नजर आता है कि लोग प्रवेश परीक्षा के पेपर ही लाखों रुपयों में खरीद रहे हैं। हाल ही में एक आईएएस अफसर की प्रशिक्षु आईएएस अफसर बेटी की पोल खुली है। उसने किस तरह विकलांग कोटे में आवेदन करके अफसरी हासिल की और अब स्थानीय कलेक्टर पर उत्पीड़न का आरोप लगा रही है। दरअसल हमारी शिक्षा व्यवस्था किस्से कहानियों पर आधारित है। पहले की कांग्रेस सरकार मुगलों की कहानियां सुनाने वालों को होशियार मानती थी और अब मराठाओं और क्षत्रियों की कहानियां सुनाने वालों को होशियार मानती है। यानि कि हर सरकार केवल स्मृतियों पर आधारित ज्ञान को ही योग्यता का मापदंड मान रही है। कमोबेश हर विषय में यही हाल हैं। विद्यार्थी रटकर या फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके नौकरियां भी पा रहे हैं और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। उनका ज्ञान और कर्म दोनों किताबी हैं। जो लोग इन नकलचोरी के जाल में नहीं पड़ते या कहें उससे किनारा करके निकल जाते हैं वे अक्सर सड़क नापते रहते हैं। उनमें से कुछेक ही सफल उद्यमिता की राह पर चल पाते हैं। दरअसल हमने पैमाने ही ऐसे बना रखे हैं जिनमें योग्यता दोयम हो जाती है। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है । जोर शोर से उसका ढोल भी पीटा जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस प्रक्रिया में योग्यता को स्थान मिलने लगेगा। लेकिन ये फिलहाल संभव नहीं दिखता। यदि योग्यता का मापदंड केवल कहानियां सुनाना या सूचनाओं को याद करके उनका प्रकटीकरण कर देना मात्र है तो फिर हिकमत अमली को जगह कहां मिलेगी। कोई सेना यदि युद्ध के अध्याय रट ले,वीरता की कहानियां सुनाती रहे तो क्या वो युद्ध की चुनौतियों का सामना कर सकती है। सेना का प्रसिद्ध वाक्य है कि जो सैनिक अभ्यास के मैदान में जितना अधिक पसीना बहाता है उसे युद्ध के मैदान में उतना कम खून बहाना पड़ता है। भारत की सेना इस सूत्रवाक्य का पालन करती है और तभी भारत की सेना विश्व की सबसे मजबूत सेनाओं में गिनी जाती है। इन दिनों जिन अग्निवीरों का उल्लेख किया जा रहा है वे भारत की सेना के वे वीर जवान हैं जो युद्ध कला में पूरी तरह पारंगत हो चुके हैं। वे भारत की सेना में लड़ें या घरेलू मोर्चों पर समस्याओं का समाधान करें उन्हें कहीं भी पराजित नहीं किया जा सकेगा। इसकी वजह उनका वो जमीनी प्रशिक्षण है वे सेना में पा रहे हैं। मध्यप्रदेश की डाक्टर मोहन यादव सरकार इन दिनों जमीनी सेवा मुहैया कराने का प्रयास कर रही है । सरकार ने 18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महा अभियान चलाया है। इस अभियान में सरकारी अमला आम जनता की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास कर रहा है। जमीनों के अविवादित नामांतरण ,नक्शे खसरे में सुधार, स्वामित्व आदि के संबंध में निराकरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी प्रकरणों के लिए आम जनता बरसों से परेशान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में बिजली पानी सड़क जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए तो प्रयास किए गए लेकिन सुशासन स्थापित करने का फार्मूला बुरी तरह प्रभावित हुआ। अफसरशाही ने जैसी लूट मचाई उसका तो दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। यही वजह थी कि भाजपा को सत्ता में लौटने के लिए लोक लुभावन घोषणाओं का सहारा लेना पड़ा।बीस सालों में भाजपा को सरकार में कांग्रेसियों और संघ के पदाधिकारियों को भी एडजस्ट करना पड़ा जिसकी वजह से स्थापना व्यय बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद भाजपा को 48.55 प्रतिशत वोट मिल पाए जबकि कांग्रेस ने संगठन न होने के बावजूद 40.40 प्रतिशत वोट पाकर कड़ी टक्कर दी है। ये कांग्रेस का वोट बैंक नहीं वास्तव में ये सरकार से बैचेनी का वोट था। जनता की समस्याएं वित्तीय कुप्रबंधन और लोकप्रियतावादी नीतियों का नतीजा हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी बगैर रिश्वत लिए काम करने को राजी नहीं है। ये बड़ी विपरीत स्थिति है। खासतौर पर जब दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध के मुहाने पर खड़ी है तब नरेन्द्र मोदी सरकार और डाक्टर मोहन यादव सरकार के सामने कड़ी चुनौती है कि वह जनता को कैसे राहत प्रदान करे।

त्वरित न्याय की सोच से निकले नए कानून

डॉ. मोहन यादव

भारत में आपराधिक कानूनों में परिवर्तन और सुधार एक महत्वपूर्ण विषय है, जो समाज की बदलती आवश्यकताओं और न्याय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय-समय पर किया जाता है। हाल ही में, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे आपराधिक कानूनों को संसद में पारित किया गया। अब एक जुलाई 2024 से पूरे देश में यह लागू हो रहा है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने संसद में कानून को पेश करते हुए कहा कि खत्म होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेज़ी शासन को मज़बूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे । इनका उद्देश्य दंड देने का था, न की न्याय देने का। तीन नए कानून की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान में दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना, इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा। भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए इन तीन कानूनों से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।

पुराने कानूनों में गुलामी की बू आती थी। ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे क्योंकि इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था और हमने सिर्फ इन्हें अपनाया था। इन कानूनों में पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, नोटिफिकेशन बाई द क्राउन रिप्रेज़ेन्टेटिव, लंदन गैज़ेट, ज्यूरी और बैरिस्टर, लाहौर गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का ज़िक्र है। इन कानूनों में हर मैजेस्टी और बाइ द प्रिवी काउंसिल के रेफरेंस दिए गए हैं, कॉपीज़ एंड एक्सट्रैक्ट्स कंटेट इन द लंदन गैज़ेट के आधार पर इन कानूनों को बनाया गया, पज़ेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड और हर मैजेस्टी डॉमिनियन्स का भी ज़िक्र इन कानूनों में कई स्थानों पर है। अच्छी बात यह कि गुलामी की निशानियों को पूरी तरह मिटा दिया गया है। जिसके तहत 475 जगह गुलामी की निशानियों को समाप्त कर दिया गया है। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है, कई बार न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, लोगों की श्रद्धा उठ जाती है और अदालत में जाने से डरते हैं।

इन कानूनों को बनाने के पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया रही है। इन कानूनों को आज के समय के अनुरूप बनाने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अगस्त, 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और देश के सभी कानून विश्वविद्यालयों को पत्र लिखे थे। वर्ष 2020 में सभी, महामहिम राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और सांसदों एवं संघशासित प्रदेशों के महामहिम प्रशासकों को पत्र लिखे गए। इसके बाद व्यापक परामर्श के बाद ये प्रक्रिया कानून बनने जा रही है। इसके लिए 18 राज्यों, 6 संघशासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए हैं। यह प्रक्रिया सरल नहीं थी, काफी मेहनत की गई बीते 4 सालों में। खूब विचार विमर्श किया गया है। इस संदर्भ में हुई 158 बैठकों में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह उपस्थित रहे हैं।

इन कानूनों में क्या बदलाव हुआ है, इस पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बताया कि आज तक आतंकवाद से परिचित सभी थे लेकिन आतंकवाद की परिभाषा, व्याख्या नहीं थी। अब ऐसा नहीं रहेगा। अब अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। इससे जुड़ी संपत्तियों को ज़ब्त करने का अधिकार भी दिया गया है। जांचकर्ता पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इसका आदेश देगा। गौरतलब है कि अनुपस्थिति में ट्रायल के बारे में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। सेशंस कोर्ट के जज द्वारा प्रक्रिया के बाद भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्ति की अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और उसे सज़ा भी सुनाई जाएगी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी छिपा हो। उसे सज़ा के खिलाफ अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में आना होगा। अभी तक देखा गया है कि देश भर के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में केस संपत्तियां पड़ी रहती हैं। अब इस ओर भी तेजी लाई जाएगी। यानी अब इनकी वीडियोग्राफी करके सत्यापित प्रति कोर्ट में जमा करके इनका निपटारा किया जा सकेगा।

इन कानूनों में अत्याधुनिकतम तकनीकों को समाहित किया गया है। दस्तावेज़ों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ई-मेल, सर्वर लॉग्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है, जिनसे अदालतों में लगने वाले कागज़ों के अंबार से मुक्ति मिलेगी। इस कानून को डिजिटलाइज किया गया है, यानी एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज़ करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। अभी सिर्फ आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है, लेकिन अब पूरा ट्रायल, क्रॉस क्वेश्चनिंग (cross questioning) सहित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संभव होगी। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण, जांच-पड़ताल और मुक़दमे में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और उच्च न्यायालय के मुक़दमे और पूरी अपीलीय कार्यवाही भी अब डिजिटली संभव होगी। सर्च और ज़ब्ती के समय वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया है, जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी।

आजादी के 75 सालों के बाद भी दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा देने का काम किया है। तीन साल के बाद हर साल 33 हज़ार फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स देश को मिलेंगे। साथ ही श्री अमित शाह ने लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को 90 प्रतिशत से ऊपर लेकर जाना है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि 7 वर्ष या इससे अधिक सज़ा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को अनिवार्य किया जा रहा है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। वर्ष 2027 से पहले देश की सभी अदालतों को कंप्यूटराइज्ड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार मोबाइल फॉरेंसिक वैन का भी अनुभव किया जा चुका है। दिल्ली इसका उदाहरण है। दिल्ली में इसका सफल प्रयोग किया गया। इसके तहत 7 वर्ष से अधिक सज़ा के प्रावधान वाले किसी भी अपराध के स्थल पर फॉरेंसिक साइंस लैबरोटरी (एफएसएल) की टीम पहुंचती है। इतना ही नहीं मोबाइल एफएसएल को भी लॉन्च किया गया। बता दें कि यह संकल्पना पूर्ण रूप से सफल है। यही वजह है कि अब हर ज़िले में 3 मोबाइल एफएसएल रहेंगी और अपराध स्थल पर जाएंगी।

यौन हिंसा के मामले में भी पहले के कानून में फेर-बदल किया गया है। इसके अंतगर्त यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान अनिवार्य कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब अनिवार्य कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना अनिवार्य होगा। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी, इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि कम्युनिटी सर्विस को सज़ा के रूप में इस कानून के तहत लाया जा रहा है। छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब 3 साल तक की सज़ा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे। इस अकेले प्रावधान से ही सेशंस कोर्ट्स में 40 प्रतिशत से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय कर दी गई है और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिनों की परमिशन और दे सकेंगी। इस प्रकार 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने

(शेष पेज छह पर पढ़िए)

इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी खंडवा से गिरफ्तार

भोपाल,(प्रेस इंफार्मेशन सेंटर)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सत्ता संभालने के बाद आतंकवादी एवं अन्य देशद्रोही गतिविधियों की रोकथाम के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी अनुक्रम में मध्यप्रदेश एटीएस ने संपूर्ण प्रदेश में गहन निगरानी शुरु कर दी है। इस छानबीन में एटीएस को तब कायमाबी मिली जब उसने एक आतंकवादी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की।

आईजी एटीएस डॉ. आशीष ने पुलिस मुख्यालय भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि मध्यप्रदेश एटीएस ने खंडवा से प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) से जुड़े आतंकी फ़ैज़ान पिता हनीफ़ शेख (34 वर्ष) को उसके निवास कंजर मोहल्ला, सलूजा कॉलोनी खंडवा पर दबिश देकर गिरफ्तार किया है। उसके विरूद्ध धारा 13(1) (बी), 18, 20, 38 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

आतंकी के पास से भारी मात्रा में आईएम, आईएसआईएस एवं अन्य आतंकी संगठनों से संबंधित जेहादी साहित्य, 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल व 5 जिंदा कारतूस, सिमी संगठन के सदस्यता फॉर्म जप्त किए गए हैं। इसके कब्जे से जप्त मोबाइल फोन एवं डिजिटल डिवाइस में भी विभिन्न आतंकी संगठन- इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा आदि के जेहादी साहित्य, वीडियो एवं फोटो प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार आतंकी के प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्यों से भी संपर्क होना पाया गया है।

यह अपने सोशल मीडिया- फेसबुक आईडी पर इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित जिहादी पोस्ट कर आईएम/आईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार-प्रसार कर रहा था। साथ ही इसके द्वारा पाकिस्तान में चल रहे मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप्स की वीडियो, मसूद अजहर (जैश-ए-मोहम्मद) लश्कर-ए-तैयबा की तक़रीर पोस्ट करते हुए कंधार विमान अपहरण की कहानी तथा मुल्ला उमर के बयान एवं अंसार ग़ज़वा-तुल-हिन्द (एजीएच) से संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे थे।

फैजान द्वारा लोन वुल्फ अटैक (Lone Wolf Attack) करने की योजना थी, जिसके लिए सुरक्षा बल के जवानों एवं उनके परिजनों की निगरानी एवं रेकी की जा रही थी। इसके द्वारा ऐसा हमला कर स्वयं को इंडियन मुजाहिदीन के यासीन भटकल एवं सिमी सरगना अबू फैजल की तरह बड़ा मुजाहिद सिद्ध करना था। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए इसके द्वारा स्थानीय अवैध हथियार कारोबारी तथा राज्य के बाहर के लोगों से सम्पर्क कर पिस्टल एवं कारतूस एकत्र किए जा रहे थे। प्रकरण में आरोपी की पुलिस रिमांड लेकर अग्रिम पूछताछ की जा रही है एवं इसके अन्य सहयोगियों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है।

मध्यप्रदेश एटीएस द्वारा विगत 3 वर्षों में प्रतिबंधित/रेडिकल नेटवर्क का भांडाफोड़

एटीएस, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश में सक्रिय प्रतिबंधित एवं रेडिकल संगठनों जैसे कि- SIMI, PFI, ISIS, JMB, HuT, Al-Sufa, LWE (Maoist) की गतिविधियों पर लगातार निगाह रखी जाती है।

विगत 3 वर्षों में की गई गिरफ्तारी

· Popular Front of India (PFI) के 22

· Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)/ Al-Sufa के 6

· Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB) के 6· Hizb-ut-Tehrir (HuT) के 16 LWE (Maoist) के 04 IM के 1

कुल 55 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, राष्ट्रविरोधी साहित्य, आपत्तिजनक दस्तावेज एवं डिजिटल उपकरण जप्त करने में सफलता अर्जित की गई है।

प्रतिबंधित संगठन है इंडियन मुजाहिदीन

• इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) को हिंसक उग्रवादी गतिविधियों के कारण भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया है।

• संगठन का उद्देश्य हिंसक तरीकों से भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना करना है।• भारत में वर्ष 2005 से 2013 तक दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे आदि स्थानों पर हुए बम धमाकों में आईएम की संलिप्तता रही है ।

मध्यप्रदेश से इंडियन मुजाहिदीन (IM) के सम्पर्क· आईएम सरगना रियाज भटकल द्वारा संगठन में भर्ती एवं प्रशिक्षण के लिए मध्यप्रदेश के सिमी सदस्यों के सहयोग से मजबूत नेटवर्क स्थापित किया गया था।

· सिमी एवं आईएम आतंकियों द्वारा कारित अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट प्रकरण में वर्ष 2022 में मध्यप्रदेश के सिमी सरगना सफदर नागौरी सहित 3 आरोपियों को फांसी तथा अन्य 5 आरोपियों को अजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इस्लामिक स्टेट इन इरान एंड सीरिया (आईएसआईएस)

ISIS अपने चरमपंथी विचारधारा एवं क्रूर रणनीति के लिए जाना जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक इस्लामी साम्राज्य स्थापित करना है ।

मध्यप्रदेश ATS द्वारा ISIS के विरूद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही

· वर्ष 2015 में ISIS से जुड़े 5 युवकों को रतलाम से किया गिरफ्तार।

· वर्ष 2017 में भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए बम ब्लास्ट में शामिल उत्तरप्रदेश के 3 आरोपी गिरफ्तार।

· वर्ष 2022 में निम्बाहेड़ा, राजस्थान में जप्त विस्फोटक प्रकरण में ISIS/Al-Sufa के 3 आरोपी गिरफ्तार।

· वर्ष 2023 में जबलपुर से ISIS Module के 3 आरोपी गिरफ्तार, ISIS के गिरफ्तार इन आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, राष्ट्रविरोधी साहित्य, आपत्तिजनक दस्तावेज एवं डिजिटल उपकरण जब्त किये गए।पुलिस की सक्रियता से अपराधियों के हौसले पस्त होते जा रहे हैं।

एक लाख रुपए के कुख्यात इनामी डकैत को शिवपुरी पुलिस ने किया गिरफ्तार

प्रदेश की शिवपुरी से पुलिस ने पारदी गिरोह के इनामी बदमाश सूरज पारदी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सूरज के सिर पर एक लाख दस हजार रुपये का इनाम था। सूरज पारदी को पुलिस ने बुधवार को गाराघाट के जंगल से गिरफ्तार किया है। आरोपित किसी वारदात की टोह में शिवपुरी आया था जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

भोपाल, 3 जुलाई 2024।अपराधों एवं अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस सजगता से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में शिवपुरी जिले की पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक लाख रुपए के कुख्यात इनामी डकैत सूरज पिता अनारथ पारदी उम्र 48 साल निवासी ग्राम सेंबड़ा को शिवपुरी जिले के जंगल से गिरफ्तार किया है। डकैत उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान में चोरी, डकैती, लूट, हत्या का प्रयास जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम दे चुका है। कुख्यात आरोपी की तीन राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। तीनों ही राज्यों में आरोपी पर कुल 22 अपराध दर्ज हैं। आरोपी के पास से पुलिस को 315 बोर का लोडेड देशी कट्टा, 3 जिंदा राउंड एवं 27 हजार 500 रुपए नगद मिले है। पुलिस ने आरोपी पर प्रकरण दर्ज कर पूछताछ की है।

हाल ही में दिया था चोरी- लूट की वारदात को अंजाम

गिरफ्तार किए गए कुख्यात डकैत सूरज पारदी द्वारा शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा थाना क्षेत्र में 24 एवं 25 जून 2024 को लूट व चोरी की की वारदातों को अंजाम दिया गया था। दरअसल 25 जून को अनिल भारद्वाज अपने चार पहिया वाहन से भोपाल से गोहद जा रहे थे। रात करीब 2.30 बजे गाराघाट अमर नदी पुल के पास उनके वाहन का टायर पंचर हो गया। तभी रोड पर बांयी तरफ से चार लोग डंडे लेकर हमारे पास पहुंचे और उन्हें जंगल में अपने साथ ले गए। बदमाशों ने अनिल भारद्वाज से सोने की चेन, 2 सोने की अंगूठी एवं एक लाख रुपए नगद लूट लिए। इसकी शिकायत फरियादी ने सुभाषपुरा थाने में दर्ज कराई। इसी तरह फरियादी श्यामदास महाराज निवासी सांकरे बाले हनुमान मंदिर द्वारा थाना सुभाषपुरा रिर्पोट दर्ज करायी की। 24-25 जून की दरमियानी रात वह मंदिर के बाहर सो रहे थे। तभी अज्ञात व्यक्ति 6 हजार रुपए व मंदिर का डीवीआर चुराकर ले गए। उक्त दोनों ही मामलों में पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश आरंभ की।

पुलिस ने जंगल में की आरोपी की तलाश

दोनों घटनाओं के संज्ञान में आते ही पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन श्री अरविन्द कुमार सक्सेना एवं पुलिस उप महानिरीक्षक श्रीमती कृष्णावेणी देशावतु द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक श्री अमन सिंह राठौड़ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक श्री राठौड़ ने अति. पुलिस अधीक्षक श्री संजीव मुले एवं सीएसपी शिवपुरी श्री संजय चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुभाषपुरा उनि श्री राजीव दुबे ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। पुलिस टीम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ग्राम धौलागढ़, करई, कैरउ, नयागांव, सेवड़ा, गोपालपुर, पटेवरी, कुंअरपुर, मुढेरी, सिंहनिवास में सर्चिंग की। पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी की सांकरे बाले हनुमान मंदिर के जंगलों में गाराघाट रोड किनारे एक व्यक्ति कट्टा लेकर घूम रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उक्त स्थान पर दबिश दी। यहां से पुलिस ने घेराबंदी कर सूरज पारदी को पकड़ा। उसके कब्जे से 315 बोर का लोडेड देशी कट्टा, 3 जिंदा राउंड एवं 27 हजार 500 रुपए नगद बरामद किए।

उत्तर प्रदेश में की थी डकैती

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज थाना कोतवाली क्षेत्र में व्यापारी विमलेश चंद्र तिवारी के घर में 29.06.23 में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को स्वीकार किया। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर व्यापारी के घर में घुसकर लोगों को बंधक बनाकर 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर, 7 लाख रुपए नगद व एक लाइसेंसी रिवाल्वर लेकर फरार हो गए थे। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपी पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया था।

इनकी रही सराहनीय भूमिका

आरोपी को गिरफ्तार करने में शिवपुरी पुलिस ने अथक प्रयास किए। आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी सुभाषपुरा उनि श्री राजीब दुबे, प्रआर श्री महेशदत्त शर्मा, प्रआर श्री अभय सिंह, आर. श्री संजय जाट, आर. श्री काले खान, आर. श्री विमल मोरे, आर. श्री धर्मेन्द्र शर्मा, आर. श्री देवेन्द्र धाकड़ एवं आर. चालक श्री सोनू की सराहनीय भूमिका रही है।

गौरतलब है कि पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन श्री अरविंद कुमार सक्सेना ने अपने पूरे सेवाकाल में सख्त कार्रवाई करके अपराधियों पर नियंत्रण पाने का इतिहास लिखा है। बरसों से पुलिस कार्रवाई में उन्होंने अपराधियों की पहचान और फिर धरपकड़ के बाद उन्हें सजा दिलाने में अपनी हिकमत अमली के कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। परिवहन विभाग की जवाबदारी संभालते हुए उन्होंने प्रदेश की राजस्व आय बढ़ाने के कई ऐसे उपाय लागू किए थे जिनसे शासन की राजस्व आय बढ़ाना सफल हुआ था। परिवहन माफिया के आतंक को काबू में लाने में उन्होंने विशेष दक्षता का प्रदर्शन भी किया।

भारतीय न्याय संहिता में कई कानूनी पेचीदगियों को सुलझाने के उपाय

एक जुलाई से भारत में तीन नए आपराधिक नियम लागू हो गए। जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। ये तीन नियम भारत की पुलिस और न्याय व्यवस्था की धुरी है। अपराध संबंधी विवेचना से लेकर कानूनी प्रक्रिया तक इनका उपयोग होता है। सामान्य नागरिक भी इन कानूनों की धाराओं से परिचित है और प्रमुख अपराधों से संबंधित धाराओं के बारे में जागरूक है लेकिन इस बड़े बदलाव के बाद पूरी न्यायिक प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने मिलेगा।

इन तीन प्रमुख नियमों में बदलाव कुछ इस तरह होगा।

नए नियम में ऐसे कई प्रविधान किए गए हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। आधुनिक न्याय प्रणाली को अमली जामा पहनाने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म और एप तैयार हो गया है। ये एक जुलाई से काम करने लगेंगे। इस नई व्यवस्था से न्याय न केवल सुगम होगा बल्कि तेज गति से जांच होने से मुकद्मों का फैसला जल्द हो सकेगा। अब न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए पीड़ित को कोर्ट में अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। न्यायालय पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमा वापस लेने की सहमति नहीं देगा। अब देशभर में कहीं भी एफआईआर दर्ज हो सकती है।

ये हैं नए प्रावधान

नए नियमों में ऐसे कई प्रविधान किए गए हैं, जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। समयबद्ध न्याय के लिए पुलिस व कोर्ट के लिए सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। अंग्रेजों के बनाए नियम खत्म हुए तो पहली बार छोटे अपराधों में सजा के तौर सामुदायिक सेवा का भी प्रविधान किया गया है। पुलिस विवेचना में अब तकनीक का उपयोग अधिक से अधिक होगा। इसके लिए डिजिटल साक्ष्यों को पारंपरिक साक्ष्यों के रूप में मान्यता दी गई है। ई-एफआइआर व जीरो एफआइआर की भी व्यवस्था की गई है। आतंकवाद व संगठित अपराध जैसे नए विषय भी जोड़े गए हैं। नए कानूनों की मूल भावना तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग कर यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थित में वादी (शिकायतकर्ता) का उत्पीडन न हो तथा कोई भी निर्दोष व्यक्ति दंडित न हो। विवेचक व इस प्रक्रिया से जुड़े किसी व्यक्ति के विवेक के बजाए किसी निष्कर्म पर पहुंचने की प्रक्रिया तकनीक पर आधारित हो। इसके लिए फारेंसिक साक्ष्यों का उपयोग भी अधिक से अधिक सुनिश्चित कराया जाएगा। एनआइसी ने ई-साक्ष्य एप बनाया है, जिससे घटनास्थल की वीडियोग्राफी की जा सकेगी तथा उसे डिजी लॉकर में सुरक्षित किया जा सकता है। इससे कोर्ट में साक्ष्य पेश करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा नहीं होगी।

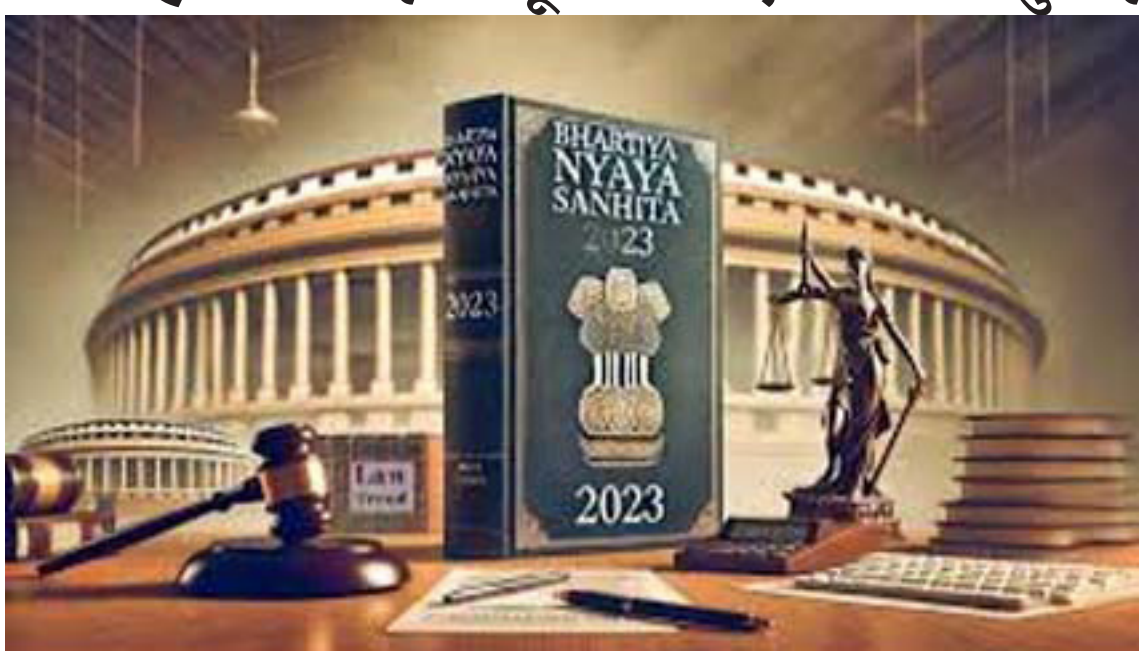

गवाही के लिए नहीं जाना होगा कोर्ट

इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद किसी को गवाही देने के लिए अदालत या पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है। लोग अपने स्थान से ही गवाही दे सकेंगे। पुलिस को भी बयान के लिए कोर्ट में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गवाही के दि उन्हें इसका लिंक भेजा जाएगा। पुलिस अपराध से जुड़े सभी सुबूत ई-साक्ष्य पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेगी। इसी तरह आरोपितों और गवाहों को बुलाने के लिए उनके घर सम्मन भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें एसएमएस, व्हाट्सएप या ई-मेल से ई-सम्मन भेजकर बुलाया जाएगा। जैसे ही गवाह इस सम्मन को देखेगा, सम्मन डिलिवरी की रिपोर्ट अपने आप जनरेट हो जाएगी और वह रिपोर्ट संबंधित जांच अधिकारी के साथ साथ अदालत के पास भी ई-कोर्ट पोर्टल पर पहुंच जाएगी। यानी गवाह सम्मन नहीं मिलने का बहाना नहीं बना सकेगा।

मुकदमे की प्रगति जानने का अधिकार

नए कानूनों में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है। दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मामलों में जांच दो माह के भीतर पूरी करने की व्यवस्था की गई है। नए नियम के तहत पीड़ित को 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। इसके अलावा तलाशी अथवा जब्ती की प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य होगा। सात वर्ष अथवा उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए फारेंसिक विशेषज्ञ को घटनास्थल पर जाना अनिवार्य होगा। हालांकि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पांच वर्ष की सीमा निर्धारित की गई है।

ये हैं महत्वपूर्ण बदलाव

1. विदेश में रहकर अथवा रहने वाला कोई व्यक्ति यदि कोई घटना कराता है तो वह भी आरोपित बनेगा।

2. अपराध में किसी बालक को शामिल कराने वाले को तीन से 10 वर्ष तक की सजा की व्यवस्था की गई है।

3. पांच व उससे अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा मूल वंश, जाति, समुदाय, लिंग व अन्य आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या पर आजीवन कारावास से
मृत्युदंड तक की सजा।

4. राजद्रोह के स्थान पर भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य को धारा 152 के तहत दंडनीय बनाया गया है।

5. चोरी एक से अधिक बार करने वाले को पांच वर्ष तक के कारावास की सजा।

6. छोटे अपराध जिनमें तीन वर्ष से कम की सजा है, उनमें आरोपित यदि 60 वर्ष से अधिक आयु का है अथवा गंभीर बीमार/आशक्त है तो उसकी गिरफ्तारी के
लिए पुलिस उपाधीक्षक या उससे वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य।

7. निजी व्यक्ति द्वारा किसी आरोपित को पकड़ने पर उसे छह घंटे के भीतर पुलिस के हवाले करना होगा।

8. गंभीर अपराध की सूचना पर घटनास्थल पर बिना विचार करे शून्य पर एफआइआर दर्ज होगी। ई-एफआइआर की दशा में सूचना देने वाले व्यक्ति को तीन दिन के भीतर हस्ताक्षर करने होंगे।

9. एफआइआर की प्रति अब सूचनादाता के साथ-साथ पीड़ित को भी मुफ्त दी जाएगी।

10. तीन से सात वर्ष से कम की सजा वाले अपराध में थानाध्यक्ष, पुलिस उपाधीक्षक अथवा उससे वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति लेकर एफआइआर दर्ज करने से पहले 14 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच कर सकेंगे।

11. दुष्कर्म व एसिड अटैक के मामले में विवेचना के दौरान पीड़िता का बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा। महिला मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट महिला अधिकारी की मौजूदगी में बयान दर्ज करेंगे।

अब बदल जाएंगे सारे नियम

तीनों नए आपराधिक नियम लागू होने के बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ले लेंगे। तीनों नए कानूनों को लागू करने का मकसद साफ है कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे नियमों-कायदों को हटाना और उनकी जगह नए कानूनों को लागू करना है। तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद क्रिमिनल लॉ सिस्टम में बदलाव आ जाएगा। अब पुलिस कुछ मामलों में आरोपी को हथकड़ी लगाकर भी गिरफ्तार कर सकती है।

जीरो एफआईआर में जोड़ी जाएंगी धाराएं

नए नियम लागू होने के बाद से एफआईआर देश भर में कहीं भी दर्ज हो सकती है। इसमें धाराएं भी जुड़ सकती हैं। अब तक जीरो एफआईआर में धाराएं नहीं जुड़ती थी। जीरो एफआईआर 15 दिन के अंदर एफआईआर संबंधित थाने को भेजनी होगी। नियम के चलते पुलिस की जवाबदेही भी बढ़ गई है। राज्य सरकार को अब हर पुलिस थाने में ऐसे पुलिस अफसर नियुक्त करने होंगे, जिनके ऊपर हर व्यक्ति के गिरफ्तारी की जिम्मेदारी होगी। पुलिस को अब 90 दिन के भीतर पीड़ित को प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी। 90 दिन में पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी होगी। 180 दिन यानी छह महीने में जांच पूरी करके ट्रायल शुरू करना होगा। अदालत को भी 60 दिन के भीतर आरोप तय करने होंगे। 30 दिन के अंदर सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाना होगा। फैसला सुनाने और सजा का ऐलान 7 दिन में करना होगा।

गिरफ्तारी के यह हैं नियम ?

गिरफ्तारी के नियमों में अधिक बदलाव नहीं हुआ है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 में एक नया सब सेक्शन 7 जोड़ा गया है. इसमें छोटे-मोटे आरोपियों और बुजुर्गों की गिरफ्तारी को लेकर नियम बनाए गए हैं। इसमें तीन साल और इससे कम सजा की प्रावधान हैं। मामले में गिरफ्तारी के लिए डीएसपी और इससे ऊपर के अधिकारियों की अनुमति आवश्यक है।

हथकड़ी लगाने को लेकर बदले नियम

1980 में सुप्रीम कोर्ट ने हथकड़ी के इस्तेमाल को असंवैधानिक करार दिया था. कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाई जाती है तो उसका कारण बताना होगा और इसके लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक है। हालांकि, अब नए नियम के तहत धारा 43 (3) के तहत गिरफ्तारी या अदालत में पेश करते समय कैदी को हथकड़ी लगाई जा सकती है।

भगोड़े आरोपियों पर भी चलेगा मुकदमा

नए नियम के तहत फरार अपराधियों पर भी मुकदमा चल सकता है, इससे पहले सिर्फ आरोपी के अदालत में मौजूद होने पर ट्रायल शुरू हो पाता था. आरोप तय होने के 90 दिन बाद भी अगर आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो ट्रायल शुरू हो जाएगा क्योंकि कोर्ट मान लेगी की आरोपी ने निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार छोड़ दिए हैं।

दया याचिका के नियम बदले

दया के लिए आरोपी सभी कानूनी रास्ते खत्म होने के बाद कभी भी याचिका दायर की जा सकती है. पर अब 30 दिन के भीतर दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष दायर करनी होगी। राष्ट्रपति के फैसले की सूचना 48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को राज्य, गृह विभाग और जेल सुपरिटेंडेंट को देनी होगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 99 के तहत, वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बच्चे को खरीदने पर कम से कम सात साल की कैद होगी और इसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

जाहिर है कि भारतीय न्याय संहिता को बरसों पुरानी परंपराओं से मुक्ति दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

जमीनों का रिकार्ड दुरुस्त करने के लिए प्रदेश में चलाया गया 45 दिनों का विशेष अभियान

भोपाल,16 जुलाई(प्रेस इंफार्मेशन सेंटर) ।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राजस्व महा अभियान प्रथम चरण (जनवरी- मार्च 2024) की सफलता को देखते हुए राज्य शासन का राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने के लिए राजस्व महाअभियान-2, 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। अभियान के दौरान सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर अपने क्षेत्रों का निरंतर निरीक्षण करेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालय में समय सीमा पर लंबित प्रकरणों का निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान योजना सभी पात्र किसानों को लाभ देना, समग्र का आधार ई-केवाईसी और खसरे की समग्र/आधार से लिंकिंग एवं फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वन है। डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण एक अगस्त से 15 सितम्बर तक होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राजस्व महाअभियान के संचालन संबंधित जानकारी ली। बैठक में राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय कुमार शुक्ला सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सभी संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टर्स बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पटवारी डायरी डिजिटल की जाए। मेन्युअल डायरी प्रथा समाप्त की जाए। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ के लंबित प्रकरणों में ई-केवाईसी करें। अच्छा वातावरण निर्मित करें। गौ-शालाओं की क्षमता अनुसार गौ-वंश रखें, वे सड़कों पर न दिखें। राज्य सरकार द्वारा गौ-शालाओं को दिया जाने वाले अनुदान को दोगुना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध रेत उत्खनन पर कार्यवाही हो।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पटवारी मुख्यालय पर रहें, दक्षता के साथ कलेक्टर कार्यवाही करें। अभियान की हर दिन समीक्षा की जाए, साफ-सुथरा कार्य हो, अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। गलती होने पर माफ नहीं किया जाएगा। कमिश्नर अपना 45 दिन का दौरा कार्यक्रम बनाएं, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाशत नहीं की जाएगी। अभियान में नक्शा दुरुस्तीकरण का कार्य अच्छा हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रमुख सचिव को लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना का लाभ दिए जाना सुनिश्चित किया जाए, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसका दुरुपयोग न हो। नदियों में रेत का अवैध उत्खनन सख्ती से रोका जाए। बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार का पूरा प्रबंधन किया जाए।

प्रदेश में 15 जनवरी से 31 मार्च तक चलाए गए राजस्व महाअभियान-01 में 30 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस महाअभियान में सभी जिलों में अच्छा काम हुआ। महाअभियान में राजस्व प्रकरणों के निराकरण प्रतिशत के हिसाब से पांढुर्ना प्रथम, बुरहानपुर, द्वितीय, खण्डवा तृतीय स्थान पर है जबकि हरदा दसवें स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल, सिंगरौली, मुरैना, उमरिया द्वितीय चरण में अच्छा कार्य करें, कोई शिकायत नहीं आए। विवादित प्रकरणों पर ठोस कार्यवाही की जाए। समग्र का आधार से सत्यापन करना जरूरी है।

राजस्व महाअभियान-01 के दौरान प्रदेश में नामांतरण मद में कुल 3 लाख 23 हजार 016 प्रकरणों का निराकरण, बंटवारा 40 हजार 414 प्ररकण का निपटारा, सीमांकन मद 43 हजार 189 प्रकरणों का निपटारा, अभिलेख दुरुस्ती मद 27 हजार 373 प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है। इससे लोगों को राहत मिली है।

Get better returns on your investment with Fixed Deposit

— Interest Rates from 11th April 2023 —

up to

9%* p.a.

Interest on FD

for 888 days for Senior Citizens

8.5%* p.a. Interest on FD for individuals, NRE,NRO for 888 days

*T&C Apply. * TDS will be deducted as applicable * Please check all terms and conditions applicable on FD's for premature withdrawal. Please refer www.equitasbank.com. * Interest rates are subject to change from time to time. * Senior Citizen rates applicable only for domestic deposits, not applicable for NRE / NRO. * Minimum period of the NRE Fixed Deposits is 1 year. No interest would be paid if the deposit is pre-closed before the completion of the first 12 months.

BEYOND BANKING | When you bank with us, you contribute towards a better society.

Equitas Bank The Power of Seven

Missed Call : 888 003 6666

Visit www.equitasbank.com

equitas Equitas Small Finance Bank

भारतीय लोकतंत्र की कालिख के रूप में याद किया जाता रहेगा आपातकाल

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून 1975 को लागू किया आपातकाल एक काले अध्याय के रूप में जुड गया है। इस दिन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल के प्रावधानों के तहत हजारों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। भारतीय लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी आपातकाल के कलंक से कभी मुक्त नहीं हो सकती।

कांग्रेस शासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के कारण देश की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का बहाना बनाते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगाया था। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि के लिए हर छह महीने में आपातकाल लगाने के लिए कहा था।

आपातकाल के दौरान, इंदिरा गांधी ने खुद को सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने पार्टी के कुछ करीबी सदस्यों और अपने छोटे बेटे संजय गांधी के परामर्श से कई सारे निर्णय लिए जिसका भारत के सामाजिक तानेबाने पर दूरगामी प्रभाव पड़ा।

आपातकाल को अक्सर स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काला दौर माना जाता है। इस अवधि में बेलगाम सरकारी कैद, असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता पर सरकारी दमन की घटनाएं हुईं। मानवाधिकारों के लगातार उल्लंघन और प्रेस पर दमनकारी हद तक सेंसरशिप की खबरें आती रहीं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन को पर्यवेक्षकों और संवैधानिक विशेषज्ञों द्वारा चिंता के साथ याद किया जाता है।

दरअसल आपातकाल की बुनियाद 1967 के गोलकनाथ मामले से ही पड़ गई थी। गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि परिवर्तन मौलिक अधिकारों जैसे बुनियादी मुद्दों को प्रभावित करते हैं तो संसद द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए, सरकार ने 1971 में 24वाँ संशोधन पारित किया। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार द्वारा तत्कालीन राजकुमारों को दिए गए प्रिवी पर्स के मामले में भी इंदिरा गांधी की किरकिरी हुई थी।

न्यायपालिका-कार्यपालिका की यह लड़ाई ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में जारी रही, जहां 24वें संशोधन पर सवाल उठाया गया था। 7-6 के मामूली बहुमत के साथ, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने संसद की संशोधन शक्ति को यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया कि इसका उपयोग संविधान के "मूल ढांचे" को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है। इंदिरा गांधी को यह नागवार लगा और उन्होंने केशवानंद भारती मामले में अल्पमत में शामिल लोगों में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश ए.एन. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया।

न्यायपालिका को नियंत्रित करने की इंदिरा गांधी की प्रवृत्ति की प्रेस और जयप्रकाश नारायण ("जेपी") जैसे राजनीतिक विरोधियों ने कड़ी आलोचना की। जयप्रकाश नारायण ने देश में घूम-घूम कर इंदिरा सरकार के खिलाफ रैलियां की और कुछ राज्यों में छात्रों ने आंदोलन भी किये।

इस बीच, सार्वजनिक नेताओं पर हत्या के प्रयास हुए और साथ ही तत्कालीन केन्द्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की बम से हत्या कर दी गई। इन सभी बातों से पूरे देश में कानून और व्यवस्था की समस्या बढ़ने का संकेत मिलने लगा, जिसके बारे में इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने उन्हें महीनों तक चेतावनी दी थी। इसके बाद मामले को हाथ से निकलता देख इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने का फैसला किया। कांग्रेस पार्टी का यह फैसला देश की लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध हुआ और इसे एक काला दिन के रूप में याद किया जाने लगा।

18 वीं लोकसभा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया और आपातकाल की घोषणा को भारत के लोकतंत्र पर एक "काला धब्बा" बताया। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा, "कल 25 जून है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर लगे उस कलंक के 50 साल हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था, देश को जेलखाना बना दिया गया और लोकतंत्र को पूरी तरह से दबा दिया गया था।" उन्होंने कहा, "अपने संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र की, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए, देशवासी यह संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले किया गया था। हम एक जीवंत लोकतंत्र का संकल्प लेंगे। हम भारत के संविधान के निर्देशों के अनुसार आम लोगों के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेंगे।"

18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा होने के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मुद्दों में से एक संविधान बचाने का मुद्दा था।देश के महानायक प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि भारत की आत्मा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में बसती है और इसे संसद भी नहीं बदल सकता। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी गलत अवधारणा फैला कर जनता को बरगला रही है। लोकसभा चुनावों में जनता कांग्रेस और उनके साथियों के झांसे में आ गई थी, लेकिन विपक्षी पार्टियों की काठ की यह हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी।नई पीढ़ी इस वेदना को समझ पाए ये भी जरूरी है।

(लेखक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री है)

त्वरित न्याय की सोच से निकले नए कानून

(पेज दो का शेष भाग पढ़िए)

के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा, इससे सालों तक निर्णय लंबित नहीं रहेगा और फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।

पुराने आपराधिक कानूनों को निरस्त करना और नए कानूनों को अपनाना देश की वर्तमान वास्तविकताओं को दर्शाता है। भारतीय लोकाचार और संस्कृति को प्रतिबिंबित करने के लिए इन कानूनों का नाम बदला गया। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 - पुरातन ब्रिटिश औपनिवेशिक युग से प्रस्थान का प्रतीक है, जिसमें सजा पर न्याय पर जोर दिया जाता है।

पिछले दशक में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाया है। आतंकवाद और उग्रवाद को लेकर सरकार की शून्य-सहिष्णुता नीतियों और कार्यों के कारण ये ताकतें अब रक्षात्मक मुद्रा में हैं।इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने यूएपीए समेत संबंधित अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को विदेशों में भारतीयों और भारतीय हितों से संबंधित आतंकी अपराधों की जांच करने का अधिकार दिया गया है। नए आपराधिक कानूनों ने अनुपस्थिति में मुकदमे की अनुमति देकर इस बदलाव को और मजबूत किया है।

(लेखक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री है)

गुजरात के जल संसाधन मंत्री कुंवर जी भाई मोहन भाई बावलिया ने प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट से उनके निवास पहुंचकर मुलाकात की।उनके साथ आई विशेषज्ञों की टीम ने मोहनपुरा कुंडलिया बांध परियोजना का अध्ययन किया।

मोहनपुरा बांध जैसी सिचाई प्रणाली बनाएगा गुजरात

भोपाल,17 जुलाई(प्रेस इंफार्मेशन सेंटर)। गुजरात के जल संसाधन मंत्री कुंवर जी भाई मोहन भाई बावलिया ने कहा है कि सिंचाई के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यहां की मोहनपुरा कुंडलिया और केन बेतवा लिंक परियोजनाओं का न केवल भारत में अपितु विश्व की सिंचाई परियोजना में महत्वपूर्ण स्थान हैं। हमने यहां मध्य प्रदेश की मोहनपुरा कुंडलिया प्रेशराइज्ड पाइप सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और अन्य का अध्ययन किया है। सिंचाई के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में किए जा रहे नित नए प्रयोगों को गुजरात सरकार भी अपनाएगी।

मंत्री श्री सिलावट ने बताया की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में सिंचाई क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन बेतवा लिंक परियोजना शुरु हो रही है। यह परियोजना प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर बदल देगी। मोहनपुरा कुंडलिया प्रेशराइज्ड पाइप सूक्ष्म सिंचाई परियोजना विश्व की अनूठी सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना के लिए मध्यप्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। मध्यप्रदेश का सिंचाई रकबा बढ़कर लगभग 50 लाख हेक्टेयर हो गया है। हमारा लक्ष्य वर्ष 2025 तक इसे 65 लाख हेक्टेयर और वर्ष 28 - 29 तक इसे 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना है।

मंत्री श्री सिलावट ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में चलाए गए जल गंगा संवर्धन अभियान और अन्य जल संरक्षण और संवर्धन संबंधी कार्यों की जानकारी दी और इस संबध में एक पुस्तिका भी भेंट की। गुजरात के जल संसाधन मंत्री ने श्री सिलावट को गुजरात की साबरमती रिवरफ्रंट व अन्य योजनाएं देखने का आमंत्रण भी दिया और गांधी आश्रम की प्रतिकृति स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की। इस अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख अभियंता श्री शिरीष मिश्रा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कौशल विकास और रोजगार मंत्री श्री गौतम टेटवाल के साथ गुजरात सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री कुंवर जी भाई मोहन भाई बावलिया ने राजगढ़ जिले के मोहनपुरा-कुंडालिया सिंचाई परियोजना का अवलोकन किया। मोहनपुरा-कुंडालिया परियोजनाओं से लगभग 3 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। दोनों प्रदेश के मंत्रियों ने मोहनपुरा डैम के पास कृषिधाम का भी अवलोकन किया। उन्होंने स्थानीय किसानों एवं अधिकारियों से चर्चा कर योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। मंत्री श्री बावलिया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मोहनपुरा पंप हाऊस परिसर में पौधरोपण भी किया। स्थानीय सांसद श्री रोडमल नागर भी उपस्थित रहे।

मोहनपुरा-कुंडालिया डेम की दोनों परियोजनाओं में 7 पम्प हाऊस से सिंचाई की व्यवस्था की गई है। दोनों डेम मे लगभग 26 हजार कि.मी. की पाईपलाइन बिछाई गई है। अंडरग्राउण्ड पाईप से किसानों के खेतों तक कनेक्शन दिये गये है। इसमें किसान कम पानी से अधिक सिंचाई कर पा रहे है। गुजरात के जल संसाधन मंत्री श्री बावलिया ने झझाड़पुर गाँव पहुँचकर प्रेशराइज पाईप प्रणाली का अवलोकन किया और स्थानीय किसानों से सिंचाई और फ़सल उत्पादन के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि कुंडालिया डेम के अवलोकन के बाद जानकर अच्छा लगा कि कम पानी में किस प्रकार से अधिक से अधिक सिंचाई की जा सकती है। मंत्री श्री बावलिया ने कहा कि वे गुजरात के कच्छ में नर्मदा जी का पानी पहुँचाने के लिए ऐसी ही परियोजना का प्लान तैयार कर रहें हैं। कुंडालिया परियोजना के अवलोकन से कच्छ परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने में आवश्यक मदद मिलेगी।

ये परियोजना मध्यप्रदेश के प्रतिभाशाली इंजीनियरों और प्रशासनिक तंत्र के बीच तालमेल का उदाहरण है। स्थानीय निवासियों ने श्री बावलिया को बताया कि इलाके के प्रतिभाशाली अफसर यदि लीक से हटकर स्थापित की गई इस परियोजना को मंजूरी न देते और पारंपरिक खर्चीली प्रणाली पर ही जोर देते रहते और सरकार की इच्छाशक्ति न होती तो ये परियोजना पूरी होना संभव नहीं था।

ठग अब 420 नहीं 316 कहलाएंगे,हत्यारों को 101 में सजा मिलेगी

भोपाल,Bharatiya Nyaya Sanhita: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 रह गई हैं। आपराधिक कानून में बदलाव के साथ ही इसमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदल जाएगा।

देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे तीन आपराधिक कानून 1 जुलाई से बदल गए हैं दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित तीन कानून इस महीने से पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं। तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे, जो क्रमश: भारतीय दंड संहिता (1860), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1898) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) का स्थान लेंगे।

देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे तीन आपराधिक कानून बदले गए हैं। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित तीन कानून इस महीने से पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं. तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे, जो क्रमश: भारतीय दंड संहिता (1860), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1898) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) का स्थान लेंगे।

कानूनों में प्रभावी होने के साथ ही इनमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदल जाएगा। आइये जानते हैं आईपीसी की कुछ अहम धाराओं के बदलाव के बारे में? नए कानून में इन्हें किस क्रम में रखा गया है? वे पहले किस स्थान पर थीं?

पहले जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में क्या बदला है?

भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 रह गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए हैं, तो 33 अपराधों में सजा अवधि बढ़ाई है। 83 अपराधों में जुर्माने की रकम भी बढ़ाई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। छह अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है।

बता दें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 12 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में तीन संशोधित आपराधिक विधियकों को पेश किया था। इन विधेयकों को लोकसभा ने 20 दिसंबर, 2023 को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर, 2023 को मंजूरी दी। राज्यसभा में विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया था। इसके बाद 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन गए लेकिन इनके प्रभावी होने की तारीख 1 जुलाई, 2024 रखी गई। संसद में तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर फोकस किया गया है।

अब जानते हैं अहम धाराओं में बदलाव

धारा 124: आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान रखती थी। नए कानूनों के तहत 'राजद्रोह' को एक नया शब्द 'देशद्रोह' मिला है यानी ब्रिटिश काल के शब्द को हटा दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 7 में राज्य के विरुद्ध अपराधों कि श्रेणी में 'देशद्रोह' को रखा गया है।

धारा 144: आईपीसी की धारा 144 घातक हथियार से लैस होकर गैरकानूनी सभा में शामिल होना के बारे में थी। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 187 गैरकानूनी सभा के बारे में है।

धारा 302: पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था। हालांकि, अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। नए कानून के अनुसार, हत्या की धारा को अध्याय 6 में मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध कहा जाएगा।

धारा 307: नए कानून के अस्तित्व में आने से पहले हत्या करने के प्रयास में दोषी को आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा मिलती थी। अब ऐसे दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत सजा सुनाई जाएगी। इस धारा को भी अध्याय 6 में रखा गया है।

धारा 376: दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को पहले आईपीसी की धारा 376 में परिभाषित किया गया था। भारतीय न्याय संहिता में इसे अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में जगह दी गई है। नए कानून में दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को धारा 63 में परिभाषित किया गया है। वहीं सामूहिक दुष्कर्म को आईपीसी की धारा 376 डी को नए कानून में धारा 70 में शामिल किया गया है।

धारा 399: पहले मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 399 इस्तेमाल की जाती थी। नए कानून में अध्याय 19 के तहत आपराधिक धमकी, अपमान, मानहानि, आदि में इसे जगह दी गई है। मानहानि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में रखा गया है।

धारा 420: भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी या ठगी का अपराध 420 में नहीं, अब धारा 316 के तहत आएगा। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 17 में संपत्ति की चोरी के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में रखा गया है।

सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में क्या बदलाव?

दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। सीआरपीसी की 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। नए कानून के तहत 177 प्रावधान बदले गए हैं जबकि नौ नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी हैं। इसके अलावा 35 धाराओं में समय सीमा तय की गई है। वहीं, नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान हैं। इससे पहले वाले कानून में 167 प्रावधान थे। नए कानून में 24 प्रावधान बदले हैं।

नई दंड संहिता में सबूतों से छेड़छाड़ संभव नहीं

(पेज एक का शेष भाग)

नए कानून में पहली बार झपटमारी (छिनैती) को शामिल करते हुए गंभीर अपराध की श्रेणी में रखकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि नए कानूनों में दंडात्मक उपायों का विकल्प प्रदान करके पुनर्वास पर भी जोर दिया गया है। जहां पहली बार अपराध करने पर कई धाराओं के माध्यम से सामुदायिक सेवा और परामर्श जैसी सजा का प्रावधान करके दंड के बदले न्याय पर जोर दिया गया है, वहीं 3 वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में विकलांग और 60 वर्ष तक की आयु वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पूर्व अनुमति आवश्यक कर दी गई है। नए कानूनों में एफआईआर से 90 दिन तक पीड़ित द्वारा मांगे जाने पर उसे अन्वेषण की प्रगति की सूचना देना होगा वहीं नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का भी अधिकार नए कानून के अंतर्गत दिया गया है।

जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया

एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उपस्थितजन ने प्रमुख वक्ता श्री बंसल से सवाल पूछकर उनसे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। इसके पश्चात एडीजी श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने प्रमुख वक्ता श्री विजय बंसल को प्रतीक चिन्ह प्रदान किया। साथ ही कार्यक्रम में सक्रियता से भाग लेने वाले प्रतिभागियों को भी प्रतीक चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। अंत में एडीजी सुश्री पिंकी जीवनानी ने आभार प्रदर्शन किया।

बूटकाम सिस्टम्स के प्रकाश चंद्र गुप्ता को नए कानूनों के प्रावधानों से सजा मिलेगी

(पेज एक का शेष भाग पढ़िए)

चित दस्तावेज तैयार कर हडप कर लेने के संबंध में दिनांक 03/04/224 को दिया गया था । जो कार्यालय पुलिस उपायुक्त जोन-03 के माध्यम से जशि-177 दिनांक 08/04/2024 में इन्द्राज कर दिनांक 12/04/224 को थाना प्रभारी थाना कोहेफिजा को प्राप्त हुआ । शिकायत आवेदन पत्र के अनुक्रम में दिनांक 22/04/24 को शिकायत के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर कथन लेखबद्ध किये गये है ।

आवेदिका सुधा प्रिया दर्शिका दवारा दिये गये आवेदन पत्र की जांच मे यह बात सामने आई है कि आमतौर पर expert द्वारा रुपये 2,21,20,000/- रूपये को मशीन से गिनने मे लगभग 03 घंटे का और हाथ से गिनने मे करीबन 15 घंटे का समय लगता है. जो कि दिनांक 08/01/2024 को आवेदिका अनावेदक के कार्यालय मे लगभग एक ही घंटे रुके थे अनावेदक के कार्यालय मे CCTV कैमरे भी लगे थे उसके बावजूद भी अनावेदक प्रकाश चन्द्र गुप्ता दवारा इतनी बडी राशि प्रदाय करने का कोई CCTV Footage संग्रहित नही किया गया और बैंक दवारा 02,21,20,000/- जमा करने की बात को अस्वीकार करने पर संबंधित पुलिस थाना व सबंधित बैंक को सूचना न देते हुए सीधे हाईकोर्ट मे 02,21,20,000/- रूपये जमा करने के उपरांत लोन की शेष राशि के समायोजन के लिए रिट पिटिशन क्र. 5100/2024 फाईल की और पर्याप्त समय निकलने के बाद सम्बंधित बैंक को सूचना दी गई ताकी कोई साक्ष्य उपलब्ध न हो सके ।

अनावेदक द्वारा जो काउन्टर जमा पर्ची कोर्ट मे उपलब्ध कराई गई थी उसमे रुपये 2,21,20,000/- रूपये का अंको ओर शब्दो मे उल्लेख है और जो जमा पर्ची बैंक से प्राप्त हुई है उसमे शब्दो और अंको मे रुपये 1,20,000/- रू का उल्लेख है दोनो ही पर्चियों मे असमानता है । अनावेदक द्वारा जमा पर्ची कि counter file मे edit किया जाना प्रथम दृष्टया सम्भव प्रतीत होता है तथा अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में कैनरा बैंक का दिनांक 09/01/2024 का balance certificate प्रस्तुत किया गया है जिसमे received cash 2,21,20,000/- होना लेख है जो कि edit किया जाना प्रथम दृष्यया प्रतीत होता है । बैंक से प्राप्त CCTV Footage अनुसार दिनांक 08/01/2024 के दोपहर लगभग 02.40 बजे अवेदिका सुधा प्रिया दर्शिका दो पहिया वाहन एक्टीवा से दैनिक बेतन भोगी रोहित नरवरे के साथ जाना व दोपहर लगभग 04.11 बजे शाखा कोहेफिजा वापस आना पाया गया इतने कम समय मे इतनी बडी राशि गिनकर वापस दो पहिया वाहन पर ले कर आना सम्भव प्रतीत नही होता है । अनावेदक द्वारा बैंक मे कभी भी इतनी बडी राशि पूर्व मे जमा नही की गई । बैंक से प्राप्त जानकारी अनुसार जाँच मे यह बात भी सामने आई कि अनावेदक प्रकाश चंद गुप्ता के मोबाइल नंबर 9826057899 जो कि केनरा बेंक शाखा मे उसके खाते से registered है, जिसमे दिनांक 08/01/2024 को बैंक द्वारा एस एम एस भेजा गया था जिसमे सिर्फ रुपये 1,20,000/- जमा होने का उल्लेख था। यदि अनावेदक द्वारा रुपये 2,21,20,000/- जमा किये होते तो अनावेदक एस एम एस प्राप्त होने के बाद तुरंत बैंक जाकर सूचना देकर सुधार करवाता ।

इसके पश्चात भी अनावेदक प्रकाश चंद्र गुप्ता द्वारा केनरा बैंक मे बुटकाम सिस्टम के नाम से संचालित खाते कि net banking का user ID and password जिसकी जानकारी सिर्फ खाता धारक को होती है अनावेदक द्वारा दिनांक 10.01.2024 एवम 15.01.2024 को उक्त user id and password के माध्यम से net banking से 16 बार लागिन किया गया था उसके बाद भी अनावेदक द्वारा पैसा जमा न होने के सम्बंध मे न तो बैंक को और न ही पुलिस को सूचना दी गई। यदि अनावेदक दवारा दिनांक 08/01/2024 को 02,21,20,000/- रूपये जमा किये जाते तो बैंक नियमानुसार जमा करने में cash handling charge एवं door step banking charge जमा राशि से काटा जाता। इस संबध मे अनावेदक द्वारा कोई आपत्ति क्यो नही उठाई गई जो संदेह उत्पन्न करता है।

आवेदिका द्वारा काउंटर जमा पर्ची पर एवं दिनाक 08.01.24 को अनावेदक को दी गई पावती पर सिर्फ हस्ताक्षर किये गये सील नही लगाई गई जबकी अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत उक्त दस्तावेज की छाया प्रति मे सील लगी हुई है जो की बैंक की शासकीय कार्यालयीन उपयोग की सील न होकर अनावेदक दवारा तैयार कूटरचित सील है । बैंक की सील में दो स्टार है और अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिये गये दस्तावेजों मे चार स्टार है तथा सील मे लिखा हुआ कोहेफिजा अंग्रेजी व हिन्दी मे कोहे फिजा के बीच मे गेप है। आवेदिका दवारा हमेशा ही हस्ताक्षर करने के उपरांत सील हमेशा हस्ताक्षर के उपर लगाना बताया गया है परन्तु अनावेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजो में हस्ताक्षर के बाजू मे सील लगाई गई है ।

अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट पिटीशन न. 5100/2024 में प्रस्तुत दस्तावेजो पर लगी सील कूटरचित है । अनावेदक प्रकाश चन्द्र गुप्ता द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपने ऋण खाते मे बडी राशि जमा करने की प्रवंचना कर आवेदिका सुधा प्रिया दर्शिका शाखा प्रबंधक शाखा कोहेफिजा भोपाल एवं अन्य अधिकारी केनरा बैंक शाखा कोहेफिजा के विरूध षडयंत्र रचा गया है । आवेदन पत्र की जांच पर प्रथम दृष्टया अनावेदक प्रकाश चन्द्र गुप्ता के विरूध अपराध धारा-420,467,468,471 (भादवि) का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाता है ।

नकल आवेदन पत्र केनरा लेटरपेड पर लिखा हुआ हस्व जेल है। संदर्भ दिनांक-10.05.2024 श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय,थाना- कोहेफिजा, भोपाल विषय-हमारी कोहेफ़िज़ा शाखा, भोपाल में मेसर्स बूटकम सिस्टम्स के नाम पर अपने ऋण खातों में दस्तावेज़ों की जालसाज़ी करने के लिए श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के लिए। विषय के संदर्भ में यह भी सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी को मानसिक रूप से परेशान करने और यातना देने के लिए, मेरे खिलाफ आपके पुलिस स्टेशन में झूठी शिकायत दर्ज करने के अलावा, जिसकी जांच चल रही है, श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता प्रोप एम/एस बूटकम सिस्टम्स निम्नलिखित मामले दर्ज किए हैं-1. श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता प्रोप एम/एस बूटकम सिस्टम्स बनाम केनरा बैंक और अन्य द्वारा रिट याचिका संख्या 5100/2024 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों को संलग्न करके दायर की गई और माननीय को गुमराह करके आदेश प्राप्त करने में सफल रहे। ब्ले कोर्ट. माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका की प्रमाणित प्रति अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है2.न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल की अदालत में मेरे खिलाफ उन्हीं झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों को संलग्न करके शिकायत संख्या यूएन सीआर/2143/2024, जिनका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष दुरुपयोग किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल की अदालत के समक्ष दायर उक्त शिकायत की प्रति अनुलग्नक - 2 के रूप में संलग्न है।3.बैंक और अधोहस्ताक्षरी के खिलाफ उन्हीं झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों को संलग्न करके 11वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की अदालत के समक्ष एक सिविल मुकदमा संख्या आरसीएस ए/397/2024 दायर किया गया है। 11वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की अदालत के समक्ष दायर उक्त शिकायत की प्रति अनुलग्नक -3 के रूप में संलग्न है।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के जस्टिस सुशील नागू और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने कोहेफिजा बैंक का पक्ष सुनने के बाद प्रकाश चंद्र गुप्ता की रिट याचिका दो अप्रैल को खारिज कर दी थी। अब इस प्रकरण में पुलिस अन्य साक्ष्य भी एकत्रित कर रही है। नए कानूनों के अनुसार साक्ष्यों में हेरफेर प्रथम दृष्टया तो साबित हो रही है जिसमें गुप्ता का जेल जाना तय हो गया

नए कानून न्याय दिलाकर लोगों का जीवन सरल बनाएंगे बोले मेघवाल

वाराणसी: केंद्रीय कानून एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे. वाराणसी के सर्किट हाउस में उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से लागू हुए तीनों नए कानून भारत के लोगों के जीवन को सरल और त्वरित न्याय दिलाने वाले कानून साबित होने वाले हैं. हम लोगों ने पूरी व्यवस्था को पारदर्शी तरीके से लोगों की जीवन को सुलभ बनाने का प्रयास किया है.

उन्होंने कहा की नए कानून में पुराने कानून व्यवस्था की कमियों को दूर किया गया है. त्वरित न्याय के लिए डिजिटल प्रक्रिया को भी पुरजोर तरीके से अपनाने पर बल दिया गया है. सजा के प्रावधानों के साथ-साथ जमानत की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है.

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने तीन नए कानूनों के बारे में बताया.

एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि बीते दिनों संसद के विशेष सत्र, जिसमें सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया गया, उसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो अपनी पूरी बात कर ली, लेकिन जब प्रधानमंत्री को बोलने का और उनके विचारों को सुनने का समय आया तो यह लोग विरोध करते हुए बाहर हो गए.

उन्होंने बताया कि 22 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का बजट सत्र चलेगा. इसमें 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि न्यू क्रिमिनल लॉ जिसे हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट कहते हैं. आईपीसी की जगह भारतीय न्याय सहिंता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ऑल इंडियन एविडेंस की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यह 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हुआ है.

इतने अच्छे यह कानून है, जिसके माध्यम से चीजें और आसान हो जाएंगी. एक प्लेटफार्म है, जिसको हम ई-कोर्ट प्लेटफार्म बोलते हैं. ई प्रिजनर प्लेटफार्म भी इसका हिस्सा है. जैसे ही पीठासीन अधिकारी फैसला सुनाएंगे वैसे ही यह पोर्टल पर अपलोड होगा.

पहले फैसला सुनाने के बाद जेल में जाना होता था. फैसले की कॉपी लेकर, कई बार 2 दिन तक यह प्रक्रिया में लगता था, जेल से बाहर आने में 2 दिन लगता था. कभी-कभी शाम को 6:00 बजे ऑर्डर पहुंचता था और जेल सुपरिंटेंडेंट उसे रिसीव नहीं करता था, लेकिन अब कोई भी फैसला आने के बाद की कोर्ट पोर्टल पर उसे अपलोड किया जाएगा और इसके बाद वह ई प्रिजनर पोर्टल पर जाएगा.

इसके बाद 15 मिनट में यह पता चल जाएगा जो ट्रायल पर कैदी था उसे कोर्ट ने छोड़ दिया है. इससे बेवजह समय की बर्बादी नहीं होगी और जो भी लोग होंगे उन्हें तत्काल न्याय मिलेगा. उन्होंने कहा कि कोई छोटा अपराध किया है तो उसे कम्युनिटी सेवा के आधार पर जीरो एफआईआर के आधार पर भी कार्य किया जा सकेगा. अब ट्रेन में यात्रा के दौरान चोरी होने पर भी घर जाने के बाद भी जीरो एफआईआर करवाई जा सकेगी. उसके बाद वह जो थाना क्षेत्र में जाना होगा, उसे ऑटोमेटिक भेज दिया जाएगा. यह ईज ऑफ लिविंग है. इससे केसेस की पेंडेंसी खत्म होगी और लोगों को जल्द न्याय मिलेगा.

कुल 358 धाराएं और 20 नए अपराध परिभाषित हैं

भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं हैं और उसमें 20 नए अपराध को परिभाषित किया गया है। इनमें स्नैचिंग से लेकर मॉब लिंचिंग तक शामिल किए गए हैं। साथ ही 33 अपराधों में सजा बढ़ाई गई है। साथ ही 83 ऐसी धाराएं या अपराध हैं, जिनमें जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। 23 अपराध ऐसे हैं, जिनमें न्यूनतम सजा का जिक्र नहीं था। इनमें न्यूनतम सजा को शुरू किया गया है। 19 धाराएं ऐसी हैं, जिन्हें हटा दिया गया है। साथ ही सजा के तौर पर सामाजिक और समुदायिक सेवा को भी रखा गया है, पहले यह नहीं था। राजद्रोह जैसे अपराध को अब नए कानून में हटा दिया गया। बीएन 2 संहिता की धारा-113 में आतंकवाद से संबंधित परिभाषा और सजा का प्रावधान है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नए प्रावधान सीआरपीसी में जहां कुल 484 धाराएं थीं, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। कुल 177 ऐसे प्रावधान हैं, जिनमें संशोधन हुआ है। नौ नई धाराएं और कुल 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। बीएनएसएस, 2023 में सबूतों के मामले में ऑडियो-विडियो इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से जुटाए जाने वाले सबूतों को प्रमुखता दी गई है।

नए कानून में किसी भी अपराध के लिए जेल में अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को उसके निजी बांड पर रिहा करने का प्रावधान रखा गया है। वहीं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं होंगी। पहले के इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कुल 167 धाराएं थीं। 6 धाराओं को निरस्त किया गया है और 2 नई धाराएं और 6 उप धाराओं को जोड़ा गया है। ऐसा प्रावधान किया गया है कि गवाहों की सुरक्षा के लिए कानून होगा।ये कानून बदलते वक्त और सोशल मीडिया के दौर में जनता का जीवन सरल बनाएंगे।

राजनेताओं को झांसा देने पर जेल जा चुका है प्रकाश गुप्ता

ठगी के शिकार परिवारों ने एमपीनगर में बैनर लगाकर पुलिस से इसे गिरफ्तार करने की मांग की थी.

भोपाल(विधिक संवाददाता)एक राजनेता के परिवार से करोड़ों रुपयों की धोखघड़ी के बाद पुलिस ने लिखा कि थाना कमला नगर भोपाल में सहा.उपनिरी. के पद पर पदस्थ हुँ। आज दिनाँक को आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जो आवेदन के मजवून पर आरोपी प्रकाश चन्द्र गुप्ता के विरूध अपराध धारा 420 भादवि. का पाया जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया जाता है । आवेदन पत्र हस्व जेल है ।प्रति श्रीमान थाना प्रभारी थाना कमलानगर जिला भोपाल (म.प्र.)विषय प्रकाशचंद गुप्ता प्रोपराइटर बूटकाम सिस्टम, एम.पी. नगर भोपाल के द्वारा मझे प्रलोभन देकर मेरी मेहनत की राशी 4 करोड़ 27 लाख 60 हजार रूपये हड़प कर स्वयं को लाभ पहुँचाने व मुझे नुकसान देने की नियत एवं धोखाधडी करने के सम्बंध मे शिकायत पत्र ।महोदय, उपरोक्त विषय मे निवेदन इस प्रकार है की मैं विक्रम आदित्य सिंह निवासी ए-3 वनबिहार रोड प्रेमपुरा,-भदभदा रोड़ भोपाल मे निवास करता हूं एवं मेसर्स काएमोरे एंजीनियरिंग का प्रोपराइटर होकर एक व्यवसायी हूँ ।यह की प्रकाश चंद गुप्ता दिनांक 09.03.2016 को मुझसे से मिलने मेरे घर भोपाल आये और कहने लगे कि उन्हे स्वयं के कम्प्यूटर बिजनेस के लिये 1.5 से 2.00 करोड रकम की 2 सालो के लिए आवश्यकता है, और उक्त उधार मांगी । जिस हेतु मैने सोचने व समझने के लिए समय मांगा । यह कि फिर कुछ दिनो तक जब मेरे द्वारा उन्हे जवाब नहीं दिया गया तो फिर से प्रकाश चंद गुप्ता मुझसे मिलने आये और कहने लगे कि उन्हे उक्त राशी की अत्यंत आवश्यकता है और यदि मै उनकी इस राशी से आर्थिक सहायता करता हूं तो वह मुझे उस पर भागीदार के रूप मे मुनाफा व ब्याज देंगे । यह कि उक्त आफर से मै बहुत लुभांवित हो गया और वर्ष 2016 से फरवरी 2018 तक के मध्य यह विश्वास करते हुये, कि वह मुझे मेरी राशी पर भागीदार से मुनाफा एवं ब्याज देंगे तो मैंने रूपये 2 करोड़ 80 लाख अपनी स्वयं की उक्त फर्म के बैंक अकाउंट के चेक व नगद के माध्यम से दे दिए । जिस दौरान उन्होने मेरे भरोसे को जीतने के लिए वर्ष 2017 मे रूपये 7,16400/-(सात लाख सोलह हजार चार सौ) वापिस भी किये तो मैने उक्त राशी में समायोजित राशी 38 लाख दिनांक 08.02.2018 को भी दे दिये एवं जिसको प्राप्त करने पर उनके द्वारा मुझे यह आश्वासन दिया कि वह मेरी समस्त राशि मे मुनाफा एवं व्याज सहित जुलाई 2019 मे लौटा देंगे। जिसे सुनकर मैने उन पर विश्वास कर लिया । और माह जुलाई 2019 तक इंतजार करने लगा । यह की प्रकाश गुप्ता के कहे अनुसार जव 2019 मे मैने अपनी उक्त राशि मे मुनाफा और व्याज सहित मांगी तो प्रकाश द्वारा अपनी किसी परेशानी को बताते हुये दो माह का और समय मांगा जिसके समाप्त होने पर जव मैने दोवारा अपनी राशि की मांग की तो उन्होने कुछ समय और टालमटोली करने के उपरांत अंतः मेरे घर आकर मुझे विश्वास दिलाते हुये प्रकाश चंद्र गुप्ता द्वारा एक स्टांप पेपर मेरे पक्ष मे एक अनुबंध पत्र दिनांक 07.10.19 स्वयं की फर्म की सील लगाकर व हस्ताक्षर कर निष्पादित करते हुये एवं समस्त एकॉउंट सेटल करते हुये कुल राशि चार करोड सत्ताईस लाख साठ हजार रुपये मुझे अपनी स्वयं की फर्म के बैंक एकाउंट का चेक क्रमांक 684678 दिनांकित 30/10/2019 बैंक कैनरा बैंक , शाखा कोहेफिजा भोपाल का इस आश्वासन पर यह कहते हुये दिया कि वह उक्त दिनांक को चैक को बैंक मे प्रस्तुत करने पर उसका भुगतान हो जायेगा और यदि चैक अनादरित होता है तो वह उक्त राशि का भुगतान स्वयं की अचल संपत्ति को विक्रय करके अदा करेंगे । यह की प्रकाश चंद्र गुप्ता के उक्त आश्वासन पर एवं अनुबंध पत्र के अनुसार जव मैने उक्त चैक को बैंक मे प्रस्तुत किया तो वह अपर्याप्त निधि-(FUNDS INSUFFICIENT) की टीप के साथ अनादरित हो गया जिसकी सूचना प्राप्त होने पर मुझे अत्याधिक मानसिक व आर्थिक क्षति पहुची एवं मेरा उप पर वर्षो के संबंध का भरोसा टूट गया एवं मेरे द्वारा प्रकाश चंद्र गुप्ता से जव संपर्क किया गया तो उसके द्वारा टालमटोली की जाने लगी ।यह की इस कारण से मैने अपने परिवार वालो को प्रकाश चंद्र गुप्ता द्वारा किये गये उक्त छल व छोखाधडी के बारे मे बताया तो उन्होने उन पर कोई कार्यवाही न करते हुये उनसे घर पर बैठकर बात करने की कोशिश की परंतु यह सारे प्रयास विफल हो गये । और मुझे यह ज्ञात हुआ कि प्रकाश चंद्र गुप्ता द्वारा सुनियोजित ढंग से मुझे प्रवन्चित करते हुये और भागीदारो पर मेरी उक्त राशि का मुनाफा व व्याज देने के सब्ज बाग दिखा कर स्वयं को लाभ पहुचाने के लिये मुझे बेईमानी से उत्प्रेरित कर मेरी मेहनत की राशि रूपये चार करोड सत्ताईस लाख साठ हजार को भरोसे पर स्वयं को नियस्त कराकर छल से हडप लिये और स्वयं के उपयोग के लिये समपरिवर्तित कर लिये जिससे मुझे भारी आर्थिक व मानसिक छति पहुची और इस कारण से मै प्रकाश चंद्र गुप्ता के द्वारा किये गये उक्त कृत्यो से बरवार हो गया हूँ। अतः श्रीमान जी आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रकाश चंद्र गुप्ता प्रोपराईटर वूटकाप सिस्टम के द्वारा किये गये उक्त आपराधिक कृत्यो को संज्ञान मे लेते हुये उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा एवं प्रकाश चंद्र गुप्ता द्वारा मेरी राशि चार करोड सत्ताईस लाख साठ हजार रूपये दिलवाने की कृपा करे। जो कि न्याय उचित होगा धन्यवाद भोपाल दिनांक 18.03.2020 प्रार्थी विक्रम आदित्य सिंह निवासी ए-3 वनविहार रोड प्रेमपुरा भदभदा रोड भोपाल

ये प्रकरण इस समय भोपाल जिला न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें भी झूठे तथ्यों के आधार पर गुप्ता ने जमानत प्राप्त की थी। अदालत में अब तक की बहस में गुप्ता के दिए साक्ष्य झूठे निकले हैं। जाहिर है इसमें भी उसे सजा मिलना तय है।

स्वत्वाधिकारी ,मुद्रक,प्रकाशक आलोक सिंघई ने सम्यक प्रिंटर्स से छापा और ऊपरी भूतल-7 अलकनंदा काम्पलेक्स जोन-1,एमपी नगर भोपाल से प्रकाशित किया।
संपादक - आलोकसिंघई फो.2555007,मोबा.-9425376322 न्याय क्षेत्र भोपाल. *aloksinghai67@gmail.com* सलाहकार संपादक:विपिन शर्मा,